इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]   भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 जनवरी 2018—पौष 18, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी, 2018

क्र. 383-6-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ७ का संशोधन.
४. धारा १५-क का संशोधन.
५. धारा १८ का संशोधन.
६. धारा २० का संशोधन.
७. अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१७.

[दिनांक ४ जनवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ जनवरी, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है;

(२) यह १ जुलाई, २०१७ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३-क के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किया गया अपीलीय प्राधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) की धारा १०७ के अधीन अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किया गया प्राधिकारी" स्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त राज्य कर अधिकारी" स्थापित किए जाएं.

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (१) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किया गया राज्य कर आयुक्त" स्थापित किए जाएं.

धारा १५-क का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १५-क में, उपधारा (१) में, शब्द "वाणिज्यिक कर निरीक्षक" के स्थान पर, "वाणिज्यिक कर निरीक्षक और/या राज्यकर निरीक्षक" स्थापित किए जाएं.

धारा १८ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (३) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर", के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कर विशेष आयुक्त/राज्य कर अपर आयुक्त" स्थापित किए जाएं.

धारा २० का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा २० में, उपधारा (२) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ३ के अधीन नियुक्त किए गए वाणिज्यिक कर निरीक्षक" के स्थान

पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन नियुक्त किए गए वाणिज्यिक कर निरीक्षक और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन नियुक्त किए गए राज्य कर निरीक्षक" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

" ८. (१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रस्ट्रीकृत व्यापारी ; और/या रुपए २५००".

(२) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल के प्रदाय या संयुक्त प्रदाय जहां कि प्रमुख प्रदाय माल का हो, से संबद्ध हो.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2018

क्र. 383-6-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2018

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement
2. Amendment of Section 2
3. Amendment of Section 7
4. Amendment of Section 15-A
5. Amendment of Section 18
6. Amendment of Section 20
7. Amendment of Schedule

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2018

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th January, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st July, 2017.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) in clause (a), for the words, figures, letter and bracket "an authority appointed under section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)", the words, figures and brackets "an appellate authority, appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or an authority appointed or authorised to hear appeals under section 107 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) " shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words, figures and bracket "an Assistant Commercial Tax Officer appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)", the words, figures and brackets "an Assistant Commercial Tax Officer appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or a State Tax officer appointed under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) " shall be substituted.

Amendment of Section 7.

3. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1), for the words, figures and bracket "Commissioner of Commercial Tax appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)", the words, figures and brackets "Commissioner of Commercial Tax appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or Commissioner of State Tax appointed under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017)" shall be substituted.

Amendment of Section 15-A.

4. In section 15-A of the principal Act, in sub-section (1), for the words "Commercial Tax Inspector", the words "Commercial Tax Inspector and/or State Tax Inspector" shall be substituted.

Amendment of Section 18.

5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (3), for the words, figures and bracket "Additional Commissioner of Commercial Tax appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)", the words, figures and brackets "Additional Commissioner of Commercial Tax appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or Special Commissioner of State Tax / Additional Commissioner of State Tax appointed under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017)" shall be substituted.

Amendment of Section 20.

6. In section 20 of the principal Act, in sub-section (2), for the words, figures and bracket "Commercial Tax Inspector appointed under section 3 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002)", the words, figures and brackets "Commercial Tax Inspector appointed under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and/or State Tax Inspector appointed under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017)" shall be substituted.

7. In Schedule to the principal Act, for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:- **Amendment of Schedule.**

"8.	(1) Dealer registered under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002); and /or	Rupees. 2500".
(2)	Person registered under the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017) who is involved in supply of goods or composite supply wherein principal supply is supply of goods.	

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.